सोशल मीडिया पत्र संख्याः-417/प्रेसनोट/2020

सेल

जनपद

आजमगढ़

दिनांकः- 07 अक्टूबर 2020

## <u>प्रेस विज्ञप्ति</u> थाना रौनापार

#### सोशल मीडिया पर अश्नील फोटो व वीडियो को वायरल करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 29.09.2020 को रौनापार थाना क्षेत्र के वादी द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दी कि पवन राय उर्फ विश्वजीत राय पुत्र स्व0 इन्द्रासन राय निवासी बरहतीर थाना जहानागंज जनपद आजगमढ ने मेरी लड़की को शादी का झांसा देकर यौन शोषण करता रहा तथा उसकी अश्लील फोटो व वीडियों बना लिया। मेरी लड़की द्वारा शादी की बात करने पर अभियुक्त पवन फोटो व वीडियों को वायरल करने की धमकी देने लगा। जब मेरी लड़की ने अभियुक्त की शिकायत 1090 पर की तो अभियुक्त द्वारा फोटो व वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। वादी की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 188/20 धारा 376/506 भादवि व 67ए आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के कड़े निर्देशों के अनुपालन में आज दिनांकः 07.10.2020 को अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) व क्षेत्राधिकारी सगड़ी जनपद आजमगढ़ के कुशल नेतृत्व में थाना क्षेत्र रौनापार में थाना प्रभारी रौनापार द्वारा मय फोर्स त्रुटि रहित चेकिंग की जा रही थी। दौरान चेकिंग जिरये मुखबिर खास की सूचना पर मु0अ0स0 188/20 धारा 376/506 भादिव व 67ए आईटी एक्ट थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ में वांछित अभियुक्त पवन राय उर्फ विश्वजीत राय पुत्र स्व0 इन्द्रासन राय निवासी बरहतीर थाना जहानागंज जनपद आजगमढ को खोजौली तिराहे पर समय लगभग 12.25 बजे दिबश देकर गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

## पंजीकृत अभियोग

मु0अ0स0 188/20 धारा 376/506 भादवि व 67ए आईटी एक्ट थाना रौनापार आजमगढ़

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

पवन राय उर्फ विश्वजीत राय पुत्र स्व0 इन्द्रासन राय निवासी बरहतीर थाना जहानागंज जनपद आजगमढ

# गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

- 1. नवल किशोर सिंहथानाध्यक्षरौनापार आजमगढ़
- 2. हे0का0 कृपाशंकर सिंह थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
- 3. का० अभिमन्यू चौरसिया थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
- 4. म0का0 जया द्विवेदी थाना रौनापार जनपद आजमगढ़